

आपके 18 साल के होने से पहले वोट डालने के लिए नामांकन कराना

## इन मतदाता नामांकन प्रश्नों के उत्तर भीतर

### भूमिका

क्या मेरी आयु 18 साल की होने से पहले मैं नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?  
मेरा नामांकित होना जरूरी क्यों है?

### अस्थायी रूप से नामांकन के लिए आवेदन

क्या मैं अस्थायी नामांकन के योग्य हूँ?

क्या मैं अस्थायी नामांकन के अयोग्य हूँ?

मैं अस्थायी नामांकन कैसे करवा सकता/सकती हूँ?

मुझे क्या जानकारी देनी चाहिए?

मुझे नामांकन फार्म कहाँ से मिल सकता है?

क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके अपने ब्यौरे को अपडेट कर सकता/सकती हूँ?

मैं न्यूज़ीलैंड माओरी हूँ। क्या मैं यह चुनाव कर सकता/सकती हूँ कि मुझे कौन सी सूची में जाना चाहिए?

मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे अस्थायी नामांकन करवाने में सहायता मिल सकती है?

मेरे नामांकन पत्र को वापिस भेज देने के बाद उसका क्या होता है?

मेरे 18 साल के हो जाने पर क्या होगा?

अगर मैं अपना पता बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर मैं अपना नाम या व्यवसाय बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

अगर मैं अपने ब्यौरे को बदलना भूल जाता/जाती हूँ तो क्या होगा?

### अधिक जानकारी

मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

मैं अन्य भाषाओं में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

न्यूज़ीलैंड के संसदीय चुनावों में वोट डालने के लिए आपका नामांकित होना जरूरी है।

अधिक जानकारी के लिए

[www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) वेबसाइट पर जाएं या

**0800 ENROL NOW (0800 36 76 58) पर फोन करें।**

न्यूज़ीलैंड में कम से कम हर तीन साल में एक बार संसद और सरकार का चुनाव करने के लिए आम चुनाव होते हैं। इसमें जनरल (सामान्य) और माओरी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए हर नामांकित व्यक्ति की एक सूची, या एक लिस्ट होती है। अगर आप 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं और नामांकन के योग्य हैं तो कानून कहता है कि आपका नाम सूची में जरूर होना चाहिए। अगर आपकी आयु 17 साल है तो आप प्रोविज़नल (अस्थायी) रूप से नाम दाखिल करवा सकते हैं। एक बार नामांकन करवा लेने के बाद यह जरूरी है कि आप अपने ब्यौरे को नवीनतम रखें। रजिस्ट्रार ऑफ इलेक्टॉर्स (निर्वाचक पंजीयक), जो न्यूज़ीलैंड पोस्ट लिमिटेड के लिए काम करते हैं, इस सूची की देखरेख करते हैं।

## भूमिका

**क्या मेरी आयु 18 साल की होने से पहले मैं नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?**

हाँ, जैसे ही आपकी आयु 17 साल की होती है, आप 'वोट डालने के लिए: आवेदन' नामक फार्म को पूरा करके अपना 'प्रोविज़नल एनरोलमेंट (अस्थायी नामांकन)' करवा सकते हैं।

**मेरा नामांकित होना जरूरी क्यों है?**

आपकी आयु 18 साल की होते ही आपका नामांकन कराना जरूरी है अगर आप ऐसा करने के योग्य हैं। नामांकित होने से आपको वोट डालने का अवसर मिलता है। मतदान द्वारा आपको यह कहने का अवसर मिलता है कि हर आम चुनाव में कौन से लोगों और राजनीतिक पार्टियों का न्यूज़ीलैंड की संसद के लिए चुनाव किया जाए। आपको स्थानीय काउंसिल और जिला स्वास्थ्य बोर्ड के चुनावों तथा अन्य किसी भी जनमत संग्रह या चुनाव में भी वोट डालने का अवसर मिलता है।

**अस्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं?**

**क्या मैं अस्थायी नामांकन के योग्य हूँ?**

आप अस्थायी नामांकन करवा सकते हैं अगर:

- आप न्यूज़ीलैंड नागरिक या न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं, तथा
- आप 17 साल के हैं, तथा
- आप न्यूज़ीलैंड में किसी समय के दौरान लगातार एक साल से अधिक समय के लिए निवास कर चुके हैं, तथा
- आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जा चुका है।

**क्या मुझे अस्थायी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है?**

आप अस्थायी नामांकन नहीं करवा सकते अगर:

- आप एक ऐसे न्यूज़ीलैंड नागरिक हैं जो न्यूज़ीलैंड से बाहर हैं और पिछले तीन साल में न्यूज़ीलैंड नहीं आए हैं।
- आप न्यूज़ीलैंड के एक ऐसे स्थायी निवासी हैं जो न्यूज़ीलैंड से बाहर हैं और पिछले 12 महीनों में न्यूज़ीलैंड नहीं आए हैं।

(नोट: ऊपर दिए गए इन दो नियमों के अपवाद हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे सरकारी कर्मचारी या डिफेंस फोर्स के सदस्य और उनके साथ-साथ उनके परिवार के सदस्य जो न्यूज़ीलैंड के बाहर ड्यूटी पर हैं)

अयोग्यता के कुछ और भी आधार हैं जिनका प्रभाव बहुत ही कम लोगों पर पड़ता है। इस प्रकार के आधारों के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले लोगों के बारे में निर्वाचकों के रजिस्ट्रारों को अधिसूचित किया जाता है। अयोग्यता के अन्य आधारों के बारे में यदि आपको कोई चिन्ता है या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) पर फोन करें या हमारी वेबसाइट को देखें - [www.election.org.nz](http://www.election.org.nz)

**मैं अस्थायी नामांकन कैसे करवा सकता/सकती हूँ?**

केवल 'वोट डालने के लिए नामांकन कराना: आवेदन-पत्र' को भरें।

**मुझे क्या जानकारी देनी चाहिए?**

कृपया नामांकन पत्र में दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर दें ताकि हम आपको सही रूप में दायित्व कर सकें।

**मुझे नामांकन फार्म कहाँ से प्राप्त हो सकता है?**

- इस पुस्तिका के पीछे दिए गए कूपन को भर कर पोस्ट कर दें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे।
- ये किसी भी पोस्टशॉप से निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- हमें 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर मुफ्त फोन करें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे।
- अपने नाम और पते को 3676 पर फ्रीटैक्स्ट करें और हम आपको एक फार्म भेज देंगे।
- हमारी वेबसाइट [www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) पर आवेदन करें या प्रिंट करें।

फार्म को भरने के बाद उसे किसी भी पोस्टशॉप में जमा करा दें या निम्नलिखित पते पर पोस्ट कर दें (डाक का टिकट लगाना जरूरी नहीं):

FreePost 2ENROL

Electoral Enrolment Centre

PO Box 190

Wellington 6140

## क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके नामांकन करवा सकता/सकती हूँ?

हाँ, बस हमारी वेबसाइट -[www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) पर जाएं और 'Enrol, check or update (एनरोल, चैक या अपडेट)' पर क्लिक करें। अपने नामांकन ब्यौरे को भरने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। उसके बाद आप अपने पहले से भरे हुए ब्यौरे वाले नामांकन फार्म को प्रिंट कर लें, उस पर हस्ताक्षर करें और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे भेज दें।

विकल्प के रूप में, आप ट्रांजेक्शन (व्यवहार या लेन-देन) को प्रस्तुत कर सकते हैं और हम आपको पहले से प्रिंट किया हुआ एक व्यक्तिगत फार्म भेजेंगे ताकि आप उसकी जाँच करके और उस पर हस्ताक्षर करके वापिस भेज दें। आप वेबसाइट पर अपने नामांकन ब्यौरे की ऑनलाइन भी जाँच कर सकते हैं।

## क्या मैं इंटरनेट का प्रयोग करके अपने ब्यौरे को अपडेट कर सकता/सकती हूँ?

कोई भी व्यक्ति अपने नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट (नवीनतम) कर सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने 'वोट डालने के लिए: आवेदन' फार्म को भर दिया है और निर्वाचकों के रजिस्ट्रार ने उसे स्वीकार कर लिया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वे इस सेवा का चुनाव करना चाहते हैं। आवेदक के ईमेल पते की भी जरूरत होती है।

नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने के लिए igovt लॉगऑन का प्रयोग किया जा सकता है। इस लॉगऑन ब्यौरे का उपयोग करने से विभिन्न सरकारी ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग करने की भी अनुमति मिलती है - igovt सुरक्षित है और आपकी गोपनीयता को बनाए रखती है। आपके नामांकन पर एक बार जब कार्रवाई कर ली जाती है तो आपके आवेदनपत्र में दिए गए ईमेल पते पर आपसे सम्पर्क किया जाएगा ताकि आप चुनाव नामांकन ऑनलाइन सेवा के साथ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) को पूरा कर सकें। इससे या तो आपको एक igovt लॉगऑन सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, या अगर आपके पास हो तो अपने मौजूदा igovt लॉगऑन का उपयोग करना पड़ेगा।

अगर आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने नामांकन ब्यौरे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने की क्षमता नहीं रखना चाहते, तो यह जरूरी है कि आप निर्वाचक रजिस्ट्रार को अवश्य सूचित करें कि आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके नामांकन रिकार्ड के लिए उपलब्ध प्रवेश को तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा।

(कृपया ध्यान दें - सारे फार्म केवल अंग्रेजी और माओरी भाषा में उपलब्ध हैं)

## मैं न्यूज़ीलैंड माओरी हूँ। क्या मैं यह चुनाव कर सकता/सकती हूँ कि मुझे कौन सी सूची में जाना चाहिए?

आप यदि न्यूज़ीलैंड माओरी हैं, तो आप नामांकन फार्म के उपयुक्त पैनल पर हस्ताक्षर करने से यह चुनाव कर सकते हैं कि आप कौन सी सूची में जाना चाहते हैं। एक बार जब आप अपनी पसंद तय कर लेते हैं तो आप अगले माओरी मतदाता विकल्प के समय तक उसे बदल नहीं सकते। अधिक जानकारी हमारी 'न्यूज़ीलैंड माओरी के रूप वोट डालने के लिए नाम लिखाना' नामक पुस्तिका में उपलब्ध है।

## मैं विकलांग हूँ। क्या मुझे अस्थायी नामांकन करवाने में सहायता मिल सकती है?

आप यदि शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आप अपने नामांकन फार्म को भरने, हस्ताक्षर करने और उस पर तिथि डालने के लिए किसी की मदद ले सकते हैं। परन्तु:

- उनका पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है - जिसका अर्थ है, वे स्वयं पहले से नामांकित हैं।
- वे नामांकन फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें ' शारीरिक विकलांग मतदाता - उनके निर्देश के अन्तर्गत किए गए हस्ताक्षर'।
- अथवा आपके आवेदनपत्र को उस व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसके पास आपकी पॉवर ऑफ अटर्नी (प्रतिनिधि अधिकार) है। ऐसी स्थिति में वे नामांकन फार्म पर अपने हस्ताक्षर के साथ यह अवश्य लिखें 'शारीरिक विकलांग मतदाता - पॉवर ऑफ अटर्नी'।

आपके परिवार का कोई सदस्य यदि मानसिक रूप से असमर्थ है, तो हो सकता है आप उनका नाम दाखिल करा सकें। जानकारी के लिए आप हमें मुफ्त 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर फोन करें।

### **अपना नामांकन पत्र वापिस भेज देने के बाद उसका क्या होता है?**

आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जाँच करेंगे कि उसे ठीक से भरा गया है। अगर ऐसा है, तो आपका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की अस्थायी मतदाता सूची पर चला जाएगा जिसमें आप कम से कम एक महीना पहले निवास कर रहे थे। आपके अस्थायी नामांकन की पुष्टि के लिए हम डाक द्वारा अधिसूचना भेजेंगे।

### **मेरे 18 साल के हो जाने पर क्या होगा?**

आपके 18वें जन्म-दिवस पर आपको एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा तथा आपको किसी अतिरिक्त फार्म को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्वाचक रजिस्ट्रार आपको यह सूचित करने के लिए लिखेंगे कि आपके आवेदन को निपटा दिया गया है और आपको नामांकित कर दिया गया है।

### **अगर मैं अपना पता बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?**

अपना निवास बदलने से पहले, न्यूज़ीलैंड पोस्ट के 'मेल रि-डायरेक्शन रिक्वेस्ट (डाक पुनः-दिशा अनुरोध)' फार्म को किसी भी पोस्टऑफिस में जाकर भरें। आपकी डाक को आपके नए पते पर वितरित किया जाएगा, साथ ही आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार को भी आपके द्वारा बदली कर लेने के बारे में सूचित किया जाएगा।

अगर आपका नया पता अभी भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में है तो आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार केवल आपके अस्थायी नामांकन को अपडेट कर देंगे और आपको पुष्टि का एक नया नोटिस भेज देंगे। लेकिन आपने अगर नए निर्वाचन क्षेत्र में बदली कर ली है, तो आपके बदली करने के एक महीने बाद आपको एक नामांकन फार्म भेजा जाएगा। उस फार्म को आप सिर्फ पूरा करके और उस पर हस्ताक्षर करके वापिस भेज दें और आपके नए निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रार आपका अस्थायी रूप से नामांकन कर लेंगे तथा आपको पुष्टि का एक नोटिस भेजेंगे।

अगर आपके निर्वाचक रजिस्ट्रार को आपका नाम किसी भी अस्थायी नामांकन सूची में नहीं मिलता, तो वे आपके नए पते पर एक नामांकन फार्म भेज देंगे।

विकल्प के रूप में, आप एक नया नामांकन फार्म भर सकते हैं या हमारी वेबसाइट - [www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) पर जाएं और अपने पते को ऑनलाइन अपडेट करें।

## अगर मैं अपना नाम या व्यवसाय बदल लेता/लेती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप अगर अपना नाम या व्यवसाय बदल लेते हैं तो इस परिवर्तन के बारे में जल्द से जल्द अपने निर्वाचक रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित करें। विकल्प के रूप में, आप एक नया नामांकन फार्म भर सकते हैं या अपने ब्यौरे को हमारी वेबसाइट - [www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) पर अपडेट कर सकते हैं।

## अगर मैं अपने ब्यौरे को बदलना भूल जाता/जाती हूँ तो क्या होगा?

आप अगर अपने ब्यौरे को अपडेट करना भूल जाते हैं तो हो सकता है कि हम नामांकन अपडेट अभियान के दौरान आपसे सम्पर्क न कर पाएं और आपके नाम को सूची में से हटा दिया जाएगा। आपको फिर से नामांकन कराना पड़ेगा।

इस पुस्तिका को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।

हम आशा करते हैं कि इसने अस्थायी नामांकन के बारे में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

## मुझे अधिक जानकारी कैसे मिल सकती है?

वोट डालने के लिए नामांकन कराने के बारे में अधिक जानकारी निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त की जा सकती है:

- हमारी वेबसाइट [www.elections.org.nz](http://www.elections.org.nz) पर जाने से
- 0800 ENROL NOW (0800 36 76 56) नम्बर पर मुफ्त फोन करने से
- निम्नलिखित पुस्तिकाओं को पढ़ने से
  - वोट डालने के लिए नामांकन कराने के बारे में आपके जानने योग्य जरूरी बातें\*
  - न्यूजीलैंड माओरी के रूप में वोट डालने के लिए नामांकन कराना\* (यह पुस्तिका केवल अंग्रेजी और माओरी में उपलब्ध हैं)
  - अप्रकाशित मतदाता सूची के बारे में आपके जानने योग्य जरूरी बातें\*

\* पोस्टशॉप या निर्वाचक रजिस्ट्रारों के आफिसों से उपलब्ध।

क्या यह जानकारी मुझे अन्य भाषाओं में मिल सकती है?

हमारी वेबसाइट पर यह पुस्तिका कई भाषाओं में उपलब्ध है।

Electoral Enrolment Centre  
New Zealand Post Limited  
P O Box 190  
Wellington 6140

फोनः 0800 ENROL NOW  
(0800 36 76 56)

फैक्सः (04) 801 0709

ईमेलः [enrol@elections.org.nz](mailto:enrol@elections.org.nz)